

डी ए वी पब्लिक स्कूल बाजपुर

सूचना

आदरणीय अभिभावक महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपके छात्र / छात्रा दिलजीत कामबीज कक्षा १२ वर्ग विज्ञान में अध्ययनरत है तथा यह पत्र संख्या- वाचक निर्देश/ 2017 तिथि 31.8.17 के संदर्भ में है जो कि तत्काल कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रभारी, बाजपुर पुलिस थाने से प्राप्त (पत्र संलग्न) हुआ है।

यह आपको सूचित करना आवश्यक है कि कोई भी छात्र / छात्रा बिना किसी वैध लाइसेंस और हेलमेट आदि वाहन के माध्यम से स्वयं-डाइव कर / स्कूटर द्वारा स्कूल में आने जाने की इजाजत नहीं है। यह माता-पिता और छात्रों के तरफ से एक गैरकानूनी गतिविधि है।

यदि कोई छात्र बिना किसी वैध लाइसेंस और हेलमेट के स्व-डाइव बाइक / स्कूटर द्वारा स्कूल में आ जा रहे हैं तो संबंधित माता-पिता और छात्र/ छात्रा किसी भी घटना/ दुर्घटना / संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे।

यदि भविष्य में कोई छात्र / छात्रा उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो संबंधित छात्र / छात्रा के खिलाफ विद्यालय प्रशासन के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के सभी अधिकार होंगे और विद्यालय प्रशासन के साथ इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी।

आपके छात्र / छात्रा की सुरक्षा के लिए आपसे सहयोग की कामना की जाती है।

कार्यालय

पुलिस

उपाधीक्षक

बाजपुर

जनपद

उधमसिंह नगर।

पत्र संख्या-वाचक निर्देश/2017

दिनांक-अगस्त 31, 2017

सेवा मे,

प्रबंधक / प्रधानाचार्य,

कृपया आपके अथवा बाजपुर सर्किल के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा विद्यालय/शिक्षण संस्थान आने जाने हेतु मोटर साईकिल/स्कूटी का प्रयोग बिना/हेलमेट बिना ड्राईविंग लाईसेन्स के किये जाने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु अनेक विद्यालयों द्वारा जुगाड वाहन का प्रयोग किया जा रहा है, जुगाड वाहनों का कोई पंजीकरण नहीं होता है, जिसका परिवहन मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत मान्य नहीं है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है, कि आप ऐसे छात्र-छात्राएँ जो अपने निजी दो-पहिया वाहनों से विद्यालय आते हैं, के अभिवाकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर पुलिस विभाग को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

भावेध्द में यदि किसी भी छात्र-छात्राओं के साथ कोई वाहन दुर्घटना/अनहोनी होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन की होगी।

(बी०एस० चौहान)

क्षेत्राधिकारी-बाजपुर

जनपद-उ०सि० नगर।